न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 295 / 2024
अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थीगण – 1. नजर मोहम्मद पुत्र कासम जाति मुसलमान निवासी नवातला राठौड़ान तहसील धनाउ जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. लालबहादुर पुत्र कासम जाति मुसलमान निवासी नवातला राठौड़ान तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर 2. ब्रांच मैनेजर, एसबीआई शाखा भुणिया 3. तहसीलदार धनाऊ जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – श्री प्रवीण चौधरी
विप्रार्थीगण वकील – श्री जगदीश पोटलिया

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.02.2026

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा सम (नवातला राठौड़ान) खसरा संख्या 304 / 93 व मौजा नवातला राठौड़ान के खसरा संख्या 292 / 109 का आया हुआ है। उक्त भूमि प्रार्थी के पूर्वजों की पैतृक खातेदारी है। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 के पिता कासम के स्वर्गवास के पश्चात् उपरोक्त भूमि उनके पुत्र लाल बहादुर व नजर मोहम्मद (खान मोहम्मद के वर्तमान में राशनकार्ड, आधार कार्ड व परिचय पत्र में नजर मोहम्मद नाम दर्ज है जो खान मोहम्मद व नजर मोहम्मद एक ही नाम का व्यक्ति हैं इनका सही नाम नजर मोहम्मद है उक्त भूमि में हल्का पटवारी द्वारा लिपिकिय त्रृटि व भुलवंश द्वारा नजर मोहम्मद की जगह खान मोहम्मद नाम दर्ज किया गया जो सरासर गलत है खान मोहम्मद व नजर मोहम्मद एक ही नाम का व्यक्ति है प्रार्थी के ग्राम पंचायत नवातला राठौड़ान के मूल दस्तावेज व सरकारी दस्तावेजों में नजर मोहम्मद नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.20 18:10:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को अपने राजस्व संबंधी समस्त ... व भूमि पर ऋण आदि प्राप्त करने में काफी परेशानियां आ रही है। प्रार्थी अपना नाम वादग्रस्त आराजी मौजा सम (नवातला राठौड़ान) खसरा संख्या 304/93 व मौजा नवातला राठौड़ान के खसरा संख्या 292/109 में खान मोहम्मद के स्थान पर नजर मोहम्मद शुद्ध करवाने हेतु यह राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस जरिये डाक भेजे गये। विप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश पोटलिया द्वारा वकालतनामा पेश कर किया गया। विप्रार्थी सं. 2 को नोटिस पर्याप्त समय बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार धनाऊ से नाम दुरस्ती की रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रार्थी के नाम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार धनाऊ द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम खान मोहम्मद के स्थान पर सही नाम नजर मोहम्मद दुरूस्त किये जाने बाबत् अनुशंषा की गई।

विप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नही करने बाबत् निवेदन किया जिस पर विप्रार्थी का जवाब बंद किया गया। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी व विप्रार्थी 1 के अधिवक्ता बहस सुनी गई। मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व प्रस्तुत तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील धनाऊ, मौजा सम (नवातला राठौड़ान) खसरा संख्या 304/93 व मौजा नवातला राठौड़ान के खसरा संख्या 292/109 में दर्ज खान मोहमद के स्थान पर नजर मोहम्मद दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.20 18:10:51 IST
Reason: SelfAttested

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को अपने राजस्व संबंधी समस्त ... व भूमि पर ऋण आदि प्राप्त करने में काफी परेशानियां आ रही है। प्रार्थी अपना नाम वादग्रस्त आराजी मौजा सम (नवातला राठौड़ान) खसरा संख्या 304/93 व मौजा नवातला राठौड़ान के खसरा संख्या 292/109 में खान मोहम्मद के स्थान पर नजर मोहम्मद शुद्ध करवाने हेतु यह राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस जरिये डाक भेजे गये। विप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश पोटलिया द्वारा वकालतनामा पेश कर किया गया। विप्रार्थी सं. 2 को नोटिस पर्याप्त समय बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार धनाऊ से नाम दुरस्ती की रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रार्थी के नाम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार धनाऊ द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम खान मोहम्मद के स्थान पर सही नाम नजर मोहम्मद दुरूस्त किये जाने बाबत् अनुशंषा की गई।

विप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नही करने बाबत् निवेदन किया जिस पर विप्रार्थी का जवाब बंद किया गया। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी व विप्रार्थी 1 के अधिवक्ता बहस सुनी गई। मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व प्रस्तुत तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील धनाऊ, मौजा सम (नवातला राठौड़ान) खसरा संख्या 304/93 व मौजा नवातला राठौड़ान के खसरा संख्या 292/109 में दर्ज खान मोहमद के स्थान पर नजर मोहम्मद दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.20 18:10:51 IST
Reason: SelfAttested

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन